छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00179

श्री मदन कुमार साहू विरूद्ध महामाया इन्फ्रा रियलिटीज प्रा. लि. द्वारा मनोज कुमार प्रोजेक्ट–गैलेक्सी प्रीमियम, संकरी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
16/11/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में उसके द्वारा क्रय किए गए प्लॉट से 33 के.व्ही. की विद्युत लाईन गुजर रही है। इसे हटाने के लिए उसके द्वारा अनावेदक से अनुरोध करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवेदक का कथन है कि उक्त विद्युत लाईन के कारण वह अपने मकान के छत की ढलाई का कार्य नहीं कर पा रहा है। जिसके कारण विगत 6 माह से उसके मकान निर्माण का कार्य बंद पड़ा है। आवेदक ने उक्त विद्युत लाईन हटाने हेतु अनावेदक को आवश्यक आदेश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। – प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर, आवेदक की उक्त समस्या का निराकरण करने में अपनी सहमति व्यक्त की। आवेदक की समस्या के समाधान हेतु स्वतः सहमत होने पर अनावेदक को न्यायहित में समुचित अवसर प्रदान किया गया। आवेदक द्वारा दिनाँक 03.11.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा 33 के.व्ही. के विद्युत लाईन को हटाने हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. से प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार रूपये 55,050/– दिनाँक 25.10.2018 को जमा कर दिया गया है। आवेदक ने कथन किया है कि उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति से वाद का निराकरण किया जा चुका है तथा वह	Madan

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00179

श्री मदन कुमार साहू विरूद्ध महामाया इन्फ्रा रियलिटीज प्रा. लि. द्वारा मनोज कुमार प्रोजेक्ट–गैलेक्सी प्रीमियम, संकरी, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★	प्रस्तुत वाद को वापस लेते हुए इस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहता है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति व सुलह होने तथा आवेदक की समस्या के समाधान हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	Madan